POLITY

अध्यादेश जारी करने की शक्ति [Power to promulgate Ordinances]

Art. 213 → राज्यपाल द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी किया जाता है।

जारी क्यों? ⇒ जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो।

अनुमोदन [Approval] → विधान सभा (Legislative Assembly) और विधानपरिषद् (जहां पर यह है।) का अनुमोदन।

28 → राज्य
6 → राज्य → विधानसभा
विधानपरिषद्
22 राज्य - विधानसभा

⇒ पुनः समवेत (Reassemble) / दोबारा बैठक के दिन) से 6 सप्ताह के अंदर = ≤ (within 6 weeks)

⇒ बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि [Maximum Duration of Ordinance without Approval]

6 months 6 सप्ताह (weeks)

वित्तीय शक्तियाँ [Financial Powers]

⇒ वित्त मंत्री द्वारा 'वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित विवरण' अर्थात् 'बजट' विधान मण्डल के समक्ष रखवाता है (अनु० 202)

The finance minister places the 'Estimated Statement of Annual Income and Expenditure' i.e. 'Budget' before the Legislature (Article 202).

बजट → पेश - वित्त मंत्री

⇓

राज्यपाल के कहने पर

⇒ राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है।

The money bill is introduced in the Legislative Assembly only with the permission of the Governor.

राज्य सरकार की 'आकस्मिक निधि' पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।

The Governor has Control over the 'Contingency fund' of the State government.

न्यायिक शक्तियां [Judicial Powers]

अनु० 161 - किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardons) करने उसका प्रविलम्बन (Reprives) करने, विराम (Respites) या परिहार (Remissions) करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, या लघुकरण (Commute) की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है।

Article-161 - Powers to pardon, reprieve, remit or remit the punishment of any person convicted of any crime or to suspend or commute the sentence. Governor does not have the power to pardon a person sentenced to death.

संसद - Parliament

संघीय विधायिका : संसद [The Union Legislature : Parliament]

भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 79 से 122 के अन्तर्गत किया गया है।

The Second pillar of the Indian System of governance is The federal legislature or parliament. Its provision has been made in Chapter - 2 of part - 5 of the Constitution under Articles 79 to 122

भारतीय लोकतंत्र → संघ / राज्य

Indian Democracy ⇒ ③ स्तंभ (Pillar)

① कार्यपालिका (executive)
② विधायिका (Legislative)
③ न्यायपालिका (Judiciary)
④ मीडिया

संघीय विधायिका → संसद [Parliament]

Union legislative

Part (भाग) → V

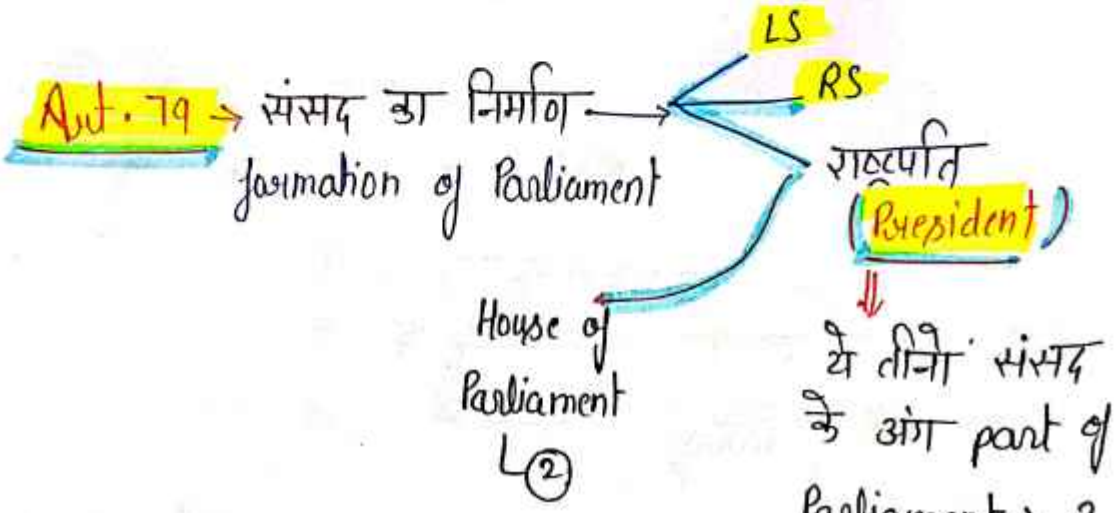
Art (अनु०) ⇒ 79 - 122

अनुच्छेद - 79 में कहा गया है, 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः 'राज्य सभा' (Council of State) और 'लोक सभा' (House of the people) होंगे।

Council of State → राज्यों की परिषद्

House of the people → जनता का सदन

Article 79 says, 'There shall be a parliament for the Union Consisting of the president and two Houses of parliament, to be called respectively the Council of State and the House of the people.



लोकसभा [House of the People]

लोकसभा का गठन - लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनु० 81 में किया गया है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी,

LS → गठन → Art. 81

सदस्यों से ⇒ मूल संविधान (Original Constitution) = 500

⇓

MP's

7CA 1956 ⇒ 500 से बढ़ाकर - 525

31 CA 1973 ⇒ 525 - 545

545
- 2
543

वर्तमान में सदस्य संख्या ⇒ 543, वर्तमान में सीटों की संख्या ⇒ 545

104 CA 2019 – 2 Anglo-Indian's → LS में मनोनित → by the President राष्ट्रपति द्वारा
2 आंग्ल भारतीय Nominate in LS
⇓ Art. 331

2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जायेगा।

X

550 → LS की अधिकतम सदस्य संख्या
552 → LS की अधिकतम सीटें

→ 84 वां CA 2001 ⇒ LS/RS/विधानसभा (LA) विधानपरिषद् (LC)
⇓
इन सभी की सीटें की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए निश्चित (fixed) कर दी गयी

सदस्य संख्या
↳ वर्तमान ⇒ 543
सीटों की संख्या " ⇒ 545.

अधिकतम सदस्य ⇒ 550
सीट ⇒ 552

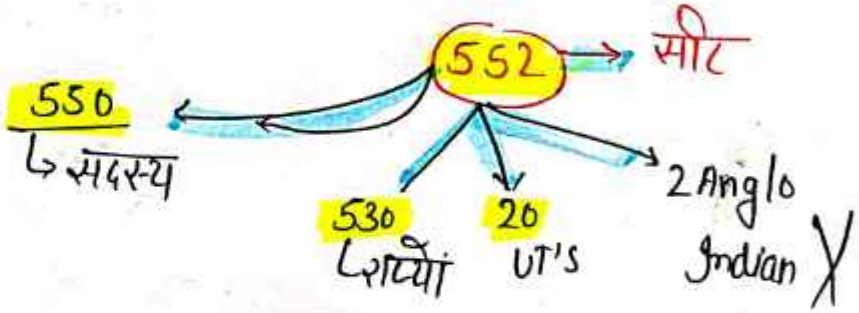
लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गयी 7 वां संविधान संशोधन अधि० 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गयी। पुनः 31 वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गयी।

But it was increased from time to time and by the 7 Constitutional Amendment Act 1956. while

Reorganizing the States, the maximum number of members of Lok Sabha was fixed at 525. Again, by the 31st Constitutional Amendment 1973 the maximum number of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545.

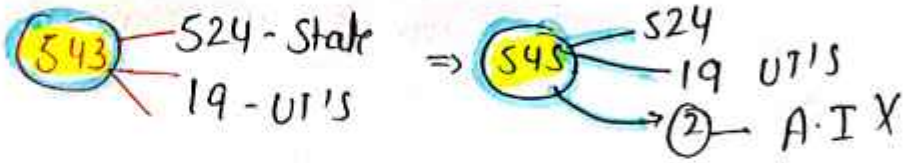
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the constituencies of the States and 20 members from the union territories



524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104 वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।

104 CA 2019



524 members from the States and 19 members from the Union territories. The 104 th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and State assemblies from January 25, 2020

104 CA 2019

4 जाए - 25 Jan. 2020